भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.870 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

जलमार्गों के उपयोग हेतु विनियामक ढांचा

†870. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण देश में वाणिज्यिक और मनोरंजक, दोनों प्रकार के नौकायन कार्यकलापों के लिए जलमार्गों के उपयोग को शासित करने वाले विनियामक ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) जलमार्गों के निरीक्षण और विनियमन में विभिन्न एजेंसियों और प्राधिकरणों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियों क्या हैं, जिनके अंतर्गत नाव यातायात, जलमार्ग अवसंरचना का प्रबंधन और पर्यावरणी मानकों का अनुपालन भी शामिल है;

(ग) नौका विहार या जल परिवहन सेवाओं का संचालन करने के इच्छुक ऑपरेटरों के लिए विशेषकर लाइसेंसों से जुड़े मानदंड, अवधि और नवीकरण प्रक्रियाओं सहित लाइसेंसिंग और अनुमोदन प्रक्रिया क्या है;

(घ) उक्त कार्यकलापों के लिए सुरक्षा और प्रचालनात्मक मानकों का ब्यौरा क्या है जिनमें सुरक्षा नयाचार, प्रचालकों के लिए प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं और आपातकालीन तैयारी के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं, जिनका उद्देश्य यात्रियों प्रचालकों और पर्यावरण की रक्षा करना है; और

(ङ) नावों के निर्माण के लिए विनिर्माण और तकनीकी मानकों का ब्यौरा क्या है, जिसमें आवश्यक प्रमाणपत्र, गुणवत्ता जांच और टिकाऊपन संबंधी आकलन शामिल हैं जिन्हें नाव निर्माताओं को सुरक्षा और संवहनीय संचालन सुनिश्चित करने के लिए पूरा करना चाहिए?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क):देश भर में जलमार्गों और अंतर्देशीय जलयानों से संबंधित गतिविधियों के उपयोग को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम; और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 में 111 नदियों और नदी के जलखंडों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। अंतर्देशीय जलयानअधिनियम,

2021 (आई. वी. अधिनियम, 2021) एक व्यापक नियामक ढांचा स्थापित करता है, जो पूरे भारत में वाणिज्यिक और मनोरंजक दोनों तरह की नौकायन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह जलयान वर्गीकरण, निर्माण, सुरक्षा और पर्यावरण अनुपालन के मानकों को रेखांकित करता है। आई. वी.अधिनियम, 2021, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ, जलमार्गों के क्षेत्रीकरण, अनिवार्य पंजीकरण और प्रमाणन प्रक्रियाओं के माध्यम से एक समान विनियमन सुनिश्चित करता है, जिससे विभिन्न नौकायन उद्देश्यों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के सुरक्षित और सतत उपयोग को बढ़ावा मिलता है।

(ख): राष्ट्रीय जलमार्गों और अंतर्देशीय जल एवंजलयान संबंधी मामलों के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व क्रमशः आईडब्ल्यूएआईअधिनियम,1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों तथा आई. वी.अधिनियम,2021 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। आई. वी.अधिनियम,2021 के अंतर्गत कार्यान्वयन प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकार है और आईडब्ल्यूएआईअधिनियम,1985 के अंतर्गत यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई)है। इसके अतिरिक्त,राज्य प्रदूषण नियंत्रण और पत्तन प्राधिकरण, संबंधित राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण और जलयानों के यातायात प्रबंधन के लिएभी उत्तरदायी हैं।

(ग):प्रचालकों के लिए लाइसेंस जारी करने और इनके अनुमोदन की प्रक्रिया आई. वी.अधिनियम,2021 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन आती है। आई. वी.अधिनियम,2021 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार जलयानों के लिएलाइसेंसिंग प्राधिकरण संबंधित राज्यों का नामित प्राधिकरण है। पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान को जल क्रीड़ा के लिए चालक दल और प्रचालकों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए अधिकृत किया गया है।

(घ):अंतर्देशीय जलयानों और चालक दल के लिए,आई. वी.अधिनियम**,** 2021 और इसके तहत बनाए गए नियमों में मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त,बड़े मनोरंजन जलयानों के निर्माण,सर्वेक्षण,प्रमाणन और संचालन संबंधी ए नौवहन महानिदेशालय दिशा-निर्देश/निर्देश - 2020 भी लागू होते हैं,जोजलयान की लंबाई और प्रचालन के क्षेत्र के आधार पर होते हैं। पर्यटन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रचालकों हेतुप्रशिक्षण आवश्यकताओं सहितजल क्रीड़ा, नौका सुरक्षा और प्रचालन मानकों के लिएचालक दल और प्रचालकों का प्रशिक्षण आयोजित करता है और लाइसेंस जारी करता है।

(ङ): नौका निर्माण के लिए विनिर्माण और तकनीकी मानकों हेतु प्रावधानों का विवरण,जिसमें ऐसे आवश्यक प्रमाणनों,गुणवत्ता जांचों और स्थायित्व आकलनों को शामिल किया गया है,जिन्हें नौका निर्माताओं को सुरक्षा और सततप्रचालन सुनिश्चित करने के लिए पूरा करना होगा,आई. वी.अधिनियम,2021 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित किया गया है।

*****